निविदा तिथि 12.02.2014

प्रस्थापना (निविदा) प्रपत्र राशि रूपये 1000/–

रसीद कमांक .....

दिनांक .....

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

निविदा पत्र

पासपोट
साईज
फोटो

1. प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम :.....

   अंग्रेजी में :.....

2. पिता / पति का नाम :.....

3. पूर्ण पता .....

   :.....

   :.....

4. योजना का नाम : पश्चिमी कोरबा (सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर)

5. भूखण्ड का प्रकार : उच्च आय वर्ग / मध्यम वर्ग

6. भूखण्ड कमांक : .....
   (रिक्त भूखण्ड कमांक जिसके
   लिए निविदा दी गई है, केवल
   एक ही कमांक अंकित करें)

7. निविदा / प्रस्थापना की अधिकतम राशि (रूपये में) :.....
   (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित)
   अंको में :.....

8. अमानत राशि रूपये ..... रसीद कमांक ..... दिनांक .....
   (फ़ोटो प्रति संलग्न करें)

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम – .....

पिता / पति का नाम– .....

पूरा पता .....

.....

मो. नं.....

UPLOAD

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ़)

भूखण्ड नीलामी/प्रस्थापना की शर्तें

1. भूखण्डों की नीलामी/प्रस्थापना पृथक–पृथक की जावेगी।

2. खुले नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले ब्यक्ति को नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को देय हो द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी व्यक्ति नीलामी/प्रस्थापना में भाग नहीं ले सकेगा तथा न ही बोली/प्रस्थापना पर विचार किया जावेगा। अमानत राशि नीलामी/प्रस्थापना तिथि दिनांक 12.02.2013 के एक दिवस पूर्व नगर पालिक निगम कोरबा में जमा करना होगा। नीलामी/निविदा तिथि को अमानत राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. उच्चतम बोली/प्रस्थापना छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम एवं अचल संपत्ति अंतरण नियम में स्वीकृति के अधीन होगी।

4. छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के तहत में निगम अधिकारी कोई भी उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

5. (अ) उच्चतम बोली बोलने/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना शर्त (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिये गये है, बोली/प्रस्थापना की शत प्रतिशत राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहित कर ली जायेगी।

   (ब) उच्चतम बोली/प्रस्थापना करने वाले ब्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना होगा (इसमें जमा अमानत राशि समायोजित की जावेगी)। शेष 75 प्रतिशत बोली राशि शासन के सक्षम स्वीकृति उपरांत 30 दिवस के भीतर निगम कोष में जमा करना होगा।

6. यथास्थिति घोष विकय के समाप्त होने पर नीलामी/प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात यथास्थिति प्रथम 2 उच्चतम बोली बोलने वालों/प्रस्थापना करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि मूल रसीद के साथ आवेदन करने पर वापस कर दी जायेगी।

7. जैसे ही घोष विक्रय/प्रस्थापना की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है, शेष बचे 01 बोली लगाने/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।

8. यदि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले जिसकी बोली/प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा बोली/प्रस्थापना की राशि विहित समय की भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि

UPLOAD

क्रमशः.....2/.

ऐसी बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर बोली/प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि भी अभिग्रहित कर ली जावेगी।

9. यदि शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः घोष विक्रय किया जायेगा/प्रस्थापना आमंत्रित किया जाये, तब यथास्थिति द्वितीय उच्चतम बोली कर्ता या प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

10. प्रत्येक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही भूखण्ड आबंटन की पात्रता होगी, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ देना होगा।

11. नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को आबंटन स्वीकृति की स्थिति में यदि वह विवाहित है तो भूखण्ड का आबंटन उसके तथा उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जावेगा।

12. भूखण्ड की खुली नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी बोली/प्रस्थापना देने के पूर्व संबंधित भूखण्ड के क्षेत्रफल के बारे में संतुष्ट होकर ही भाग लेंगे। बोली/प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में उनका कोई अभ्यावेदन अथवा दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा। किन्तु यदि भूखण्ड का आधिपत्य सौपने के समय स्थल पर भूखण्ड के आकार में कोई अंतर पाया जाता है तो यथा स्थिति स्वीकृत दर पर अंतर की राशि जमा अथवा वापसी निगम द्वारा की जा सकेगी। इसमें कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

13. नीलामी/प्रस्थापना स्वीकृति की स्थिति में निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि जमा करने पर आबंटिती को 6 माह की अवधि के भीतर आबंटित भूखण्ड की लीज डीड पंजीयन (रजिस्ट्री) निर्धारित राशि के स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

14. नीलामी में सफल घोषकर्ता/प्रस्थापना की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आबंटिती को निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपूर्ण राशि जमा करते हुए आधिपत्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा एवं 6 माह के भीतर भवन निर्माण अनुमति प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कराना होगा।

15. जिस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक घोषविक्रय/प्रस्थापना में भूखण्ड लिया जावेगा, वह व्यक्ति निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के भूखण्ड का विक्रय नहीं कर सकेगा। लीज हस्तांतरण के लिए इच्छूक होने पर आबंटिती को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन करना होगा, जिस पर बिचार किया जाकर शासन के दिशा निर्देश के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, किन्तु भूखण्ड आबंटन के 5 वर्ष के अवधि के अंदर ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. आबंटिती को आबंटित भूखण्ड का निर्धारित लीज रेन्ट एवं समस्त अन्य करों का भुगतान नगर पालिक निगम कोरबा एवं संबंधित विभाग में जमा करना होगा।

17. नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त को अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि नीलामी/प्रस्थापना के दौरान किसी भी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों पर बोली बोलने से रोक देवें जिसके लिए व्यक्ति विशेष को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

18. उपरोक्त नीलामी/प्रस्थापना शर्तो के क्रियान्वयन अथवा उसके व्याख्या में कोई विवाद होने पर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पंच फैसला हेतु आवेदन किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम व पक्षकारों को मानना होगा।

19. कोई बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का नगर पालिक निगम आयुक्त एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा।

20. लीज–डीड हेतु नगर पालिक निगम कोरबा के स्वीकृति इकरारनामा प्रारूप को इन शर्तो का भाग माना जावेगा। दोनो में विरोधाभास होने पर स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को अंतिम माना जावेगा।

21. नगर पालिक निगम द्वारा इस सबंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश व शर्ते आबंटिती को मानने के लिए बाध्य होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)